

[illegible][illegible]

सूचना की केवटिक समीक्षा तथा वह केन्द्रीय प्रदाय जा रहा है। उपरोक्त कर्जकारों तथा/अथवा सह-कर्जकारों पर नजरों को सहाई दी जाती है कि वे क्या राशियाँ का भुगतान करना सहित इस प्रकार के 60 दिनों के भीतर कर दें, जिसमें सम्भव रूप पर वित्तीय असुविधा का प्रतिक्रियाकर्ता और पुनर्गठन वगैर प्रतिक्रिया हिंद प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की प्रायः 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का कक्षा देने का आदेश कोषयोजना। बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पाए उपलब्ध नए अधिकार उपलब्ध को प्रकृतित प्रभावित किए हैं। उपरोक्त नामक पाण्डित्यों को उपर्युक्त समर्थितियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हिंद सृजित नहीं करने की भी सहाई दी जाती है पर बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

दिधि: 03-05-2025	स्थान: राजस्थान	प्रधिकृत अधिकारी: बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
------------------	-----------------	--

[illegible]

सरफासा ऐवढ, 2002 के नियम 9 उप-नियम (1) के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का नोटिस

कर्मचर को अभिसूचित किया जाता है कि उपरोक्तित रीति अदालत ब्याज और अनुग्री खर्च के साथ निम्निलीनानी की त्रिथि से पहले कर दे, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाणी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत समेत वसूल की जाणी।

अन्तर्ग: त्रिथि: 03-मई-2025

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, आईआरएफएलएल होम फाइनेंस लिमिटेड